

AUTHENTICATED

  
SHOBHA KARANDLAJE  
Minister of State  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare  
Government of India  
Krishi Bhawan, New Delhi

**STATEMENT SHOWING REASONS FOR DELAY IN LAYING THE ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS OF HIMACHAL PRADESH AGRO INDUSTRIES CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR, 2018-19 ONWARDS ON THE TABLE OF LOK SABHA/RAJYA SABHA.**

The Himachal Pradesh Agro Industries Corporation Limited is an undertaking under the direct control of the State Government of Himachal Pradesh. The Government of India has a minority shareholding of about 17% in the Corporation.

2. As per provisions contained under Section 394(1) of the Companies Act, 2013, where the Central Government is a member of a Government Company, the Central Government shall cause an annual report on the working and affairs of the Company to be:

(a) prepared within three months of its annual general meeting before which the audit report is placed under sub-section (6) of Section 143; and

(b) as soon as may be after such preparation, laid before both Houses of Parliament, together with a copy of the audit report and any comments upon, or supplement to the audit report, made by the Comptroller and Auditor General of India.

3. Further, in accordance with the recommendations contained in para 26 of the 1<sup>st</sup> Report of "Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha", copies of the Annual Reports and Audited Accounts of the Corporation are to be placed on the Table of both Houses of Parliament together with report/review, comments of auditors and Comptroller and Auditor General within 9 months of closure of the accounts.

4. The Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare have been vigorously pursuing the matter with the Corporation as well as with the State Government to expedite submission of pending Annual Reports and Audited Accounts of the Corporation. As such, the Corporation has been able to send the Annual Report and Audited Accounts of the Corporation for the year 2018-19 to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for laying on the Table of the House.

5. The reasons for delay in finalization of Annual Accounts of the Himachal Pradesh Agro Industries Corporation Limited for the year 2018-19 are as under:

S.No.	Task	Date with period
1.	Date of completion of accounts of the Corporation	12.03.2020
2.	Time taken by the Auditors for auditing the accounts by the Statutory Audit(CAG's)	16 working days (03.06.2020 to 20.06.2020)
3.	Time taken in resolving Audit queries and the date of receipt of the final audit report in the Corporation (CAG's Comments)	(5 days) 28.10.2020
4.	Date of finalization of Annual Accounts.	28.10.2020
5.	Time taken in translation of Annual Report and Audited Accounts of the Corporation.	App.50 days
6.	The date when Annual Report and Audited Accounts of the Corporation were approved by the competent authority of the Corporation.	18.12.2020
7.	Date when the Annual Report and Audited Accounts of the Corporation were sent to the Ministry for being laid on the Table.	23.09.2021
8.	Annual Report received in this Ministry	27.09.2021

6. Hence, there has been a delay in laying the report on the table of the Houses.

\*\*\*\*\*

अधिप्रमाणित

*Sheluvandy*

शोभा करांदलाजे  
राज्य मंत्री

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि भवन, नई दिल्ली

**वर्ष 2018-19 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की  
वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर  
रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।**

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के सीधे नियंत्रणाधीन एक उपक्रम है। भारत सरकार की निगम में लगभग 17 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

2- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394(1) के प्रावधानों के अनुसार जहां केन्द्रीय सरकार सरकारी कम्पनी की एक सदस्य है, केन्द्रीय सरकार कम्पनी की कार्य प्रणाली और मामलों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट:

(क) इसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीनों के भीतर, जिससे पहले धारा 143 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है, तैयार करवाएगी; तथा

(ख) इस तैयारी के बाद यथाशीघ्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा इस पर की गई टिप्पणियों अथवा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट सहित संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी।

3. इसके अलावा, "राज्य सभा के पटल पर रखे गए कागजातों से संबंधित समिति" की प्रथम रिपोर्ट के पैरा 26 में की गई सिफारिशों के अनुसार निगम की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा-परीक्षित खातों की प्रतियां को लेखों के बन्द होने के 9 महीनों के भीतर लेखा परीक्षकों और नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट/समीक्षा, टिप्पणियों सहित, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना है।

4. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग लंबित वार्षिक रिपोर्टों एवं लेखा परीक्षित खातों की प्रस्तुति में तेजी लाने के लिए निगम और राज्य सरकार के साथ मामले को उठाता रहा है। इस तरह से सदन के दोनों पटलों पर रखे जाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित खाते भेजे जाने के लिए निगम सक्षम है।

5. वर्ष 2018-19 के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में हुए विलंब के कारण इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	कार्य	दिनांक
1	वार्षिक लेखों को पूरा करने की तारीख	12.03.2020
2	सांविधिक लेखा परीक्षा (सीएजी) द्वारा लेखों को लेखा परीक्षित करने के लिए लेखा परीक्षकों द्वारा लिया गया समय	16 कार्य दिवस (03.06.2020 से 20.06.2020)
3	लेखा परीक्षा जानकारियों को हल करने में लगा समय एवं निगम के अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख (सीएजी की टिप्पणियां)	(5 दिन) 28.10.2020
4	वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने की तारीख	28.10.2020
5	निगम की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा के अनुवाद में लिया गया समय	लगभग 50 दिन
6	निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निगम की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा के अनुमोदन की तारीख	18.12.2020
7	निगम द्वारा वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा खातों को सदन के पटल पर रखे जाने के लिए मंत्रालय को भेजे जाने की तारीख	23.09.2021
8	मंत्रालय में वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख	27.09.2021

6. अतः रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने में विलंब हुआ ।

\*\*\*\*\*